

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

हुकम  
जारी

21/8/17

अधिवक्ता वादीगण उपस्थित। अधिवक्ता वादीगण ने कथन  
किये कि ब्याड निषेधात्मक जारी कि जावे। प्रायिन फ्र धारा  
212 पर राजस्व कारत दारी अधिनियम पर बस अधिवक्ता  
वादीगण सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का  
अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध सभी तथ्यों  
पर मनन करने के आदेश दिये जाते हैं। कि ग्राम दानाजी  
की दाणी पथार हल्का खरखा प्रयाग अ.अ.नि. नि. क्षेत्र  
खरखा तहसील मसूदा के खसरा नम्बर 1204 खसरा 02-15-10  
व 1206 खसरा 02-03-00 विद्या भूमियों की मूल वाद के अंतिम  
निर्णय पारित होने की तिथी तक अप्रार्थीगण को विवादित  
आराजीमत बाबत राजस्व रेकार्ड एवं मौक पर आज की  
प्रथा लिपि बनाने रखेंगे। तथा अप्रार्थीगण स्वयं उनके परिवाजठ  
हाली रिश्तेदार ऐजन्ट आदि वादग्रस्त आराजी भयक उल्के किसे  
भी उनके हिस्से पर जवरन कब्जा न करे एवं न ही करे। एवं  
हस्तान्तरण आदि नही करे।

आदेश आज दिनांक को सुबल न्यायालय में सुनाया गया  
तथा उपकरण नम्बर से कम होकर वादिल दफ्तर हो। पत्रावली  
मूल वाद के साथ नथी हो।

(मोहनलाल खटनारलिया)

उपलब्ध अधिकारी  
मसूदा (अजमेर) जज.

